न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 217 / 2022

यूको बैंक, शाखा चिडावा, जिला झुंझुनूं राज0।
—— प्रार्थी (सिक्योर केडिटर)

बनाम

1. मैसर्स लाजरी साडी सेन्टर, प्रो0 श्री महेन्द्र शर्मा, शॉप नं0 5, मैन मार्केट, राजकला कॉम्प्लेक्स, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री गुरूदयाल पीपलवा, वार्ड नं0 18, पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— ऋणी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्शट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 (अब आगे से एक्ट से सम्बोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी / जमानती से बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्युमेन्ट्स का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत

——

उपस्थितः—

1. श्रीमती अंजुम, एडवोकट— प्रार्थी बैंक की ओर से
2. श्री अशोक शर्मा, एडवोकेट—अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 15.09.2021

प्रार्थी यूको बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स लाजरी साडी सेन्टर को दिनांक 09.05.2016 को रूपये 10,00,000.00 अक्षरे दस लाख रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी / जमानती ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 09.05.2016 को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति (जो आपके अधिकार क्षेत्र मे स्थित है) से रक्षित है— शॉप नं0 4, ग्राउण्ड फ्लोर, राजकला कॉम्प्लेक्स, मैन मार्केट, चिडावा, जिला झुंझुनूं मे स्थित है के ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप मे ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके परिसम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यक / दृष्टिबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान मे चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2021 को नियमानुसार अनर्जक परिसम्पत्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 06.08.2021 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 ए0डी0 / कोरियर / यू0पी0सी0 से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये 11,23,399.00 अक्षरे ग्यारह लाख तेबीस हजार तीन सौ [illegible] आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। बैंक को दिनांक 06.08.[illegible] रूपये 11,23,399.00 अक्षरे ग्यारह लाख तेबीस हजार तीन सौ निनानवे रूपये मात्र [illegible] अतिरिक्त ऋणी / जमानती से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को [illegible] चल व अचल सम्पत्ति शॉप नं0 4, ग्राउण्ड फ्लोर, राजकला कॉम्प्लेक्स, मैन मार्केट, चिडावा, जिला झुंझुनूं मे स्थित है स्थित [illegible] व निर्मित भवन है व कुल क्षेत्रफल 13 वर्गमीटर है का कब्जा लेकर बिक्री करनी है। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति को अपने नियन्त्रण मे लेकर प्रतिभूत लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। गिरवीकृत अचल सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है जिसका विवरण निम्न हैः— शॉप नं0 4, ग्राउण्ड फ्लोर, राजकला कॉम्प्लेक्स, मैन मार्केट, चिडावा, जिला झुंझुनूं मे स्थित है स्थित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.10 16:59:43 IST
Reason: SelfAttested

व निर्मित भवन है व कुल क्षेत्रफल 13 वर्गमीटर है। उपरोक्त सम्पत्तियों पर उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधीकरण के द्वारा कोई रोक नही है। सविनय निवेदन है कि उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि 83,000/– रूपये नही चुकाई गई है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने जिस सम्पत्ति को गिरवी रख कर प्रार्थी बैंक से ऋण लिया था वो दुकान जल गई थी। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त गिरवीकृत दुकान पर ऋण प्रदान करते समय बीमा किया गया था। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण का कोई सहयोग बीमा कम्पनी से मुआवजा लेने मे नही किया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक को खाता ऋण खाता एन0पी0ए0 होने के बाद पूर्ण राशि चुकता कर दी है। प्रार्थी बैंक का अप्रार्थीगण मे कोई बकाया नही है। प्रार्थी बैंक ने बीमा कम्पनी से रूपये मिलते ही प्रार्थी बैंक का पूरा बकाया चुका दिया है। प्रार्थी बैंक का यह प्रार्थना पत्र न्यायालय मे चलने योग्य नही है। वैसे भी 2,00,000 से कम का ऋण बकाया होने पर रिकवरी के लिए प्रार्थी बैंक प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश नही कर सकता है। अप्रार्थीगण से बार–बार रिकवरी चार्ज के नाम से अनावश्यक वसूली की गई है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी यूको बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बकाया ऋण राशि 11,23,399.00 अक्षरे ग्यारह लाख तेबीस हजार तीन सौ निनानवे रूपये मात्र + इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त बकाया बताते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया था। अप्रार्थीगण द्वारा दुकान जल जाने के बावजूद ज्यों ही उसे मुआवजा मिला, उसके द्वारा बकाया ऋण राशि प्रार्थी बैंक को जमा करवा दी थी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी स्पष्ट नही कर सके कि उनकी कितनी ऋण राशि अप्रार्थीगण मे बकाया है। अतः प्रार्थी यूको बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र खरिज किया जाता है अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.10 16:59:43 IST
Reason: SelfAttested